

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015-

राज्य योजना

89

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
वीरचंद पटेल पथ,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 13.02.17

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, प्रावैधिकी, मुसहर/भुईया, क्रीड़ा, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनु० जाति छात्रवृत्ति मद में ₹61800.00 लाख (छः सौ अठारह करोड़ रुपये) एवं अनु० जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹6400.00 लाख (छोसठ करोड़ रुपये) अर्थात् कुल ₹68200.00 लाख (छः सौ बेरासी करोड़ रु०) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, प्रावैधिकी, मुसहर/भुईया, क्रीड़ा, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनु० जाति छात्रवृत्ति मद में ₹61800.00 लाख (छः सौ अठारह करोड़ रुपये) एवं अनु० जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹6400.00 लाख (छोसठ करोड़ रुपये) अर्थात् कुल ₹68200.00 लाख (छः सौ बेरासी करोड़ रु०) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- (i) - संलग्न विवरणी-1 में अनु०जाति के लिए भारत व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के राज्य योजना मांग सं०-44 के अंतर्गत आय-व्यय शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारत होंगे:-

(क)- 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा - कुट सं०-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा-(विपत्र कोड- P2225011970101), राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5460

(ख) 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0101- छात्रवृत्ति/वजीफा- कुट सं०-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा- (विपत्र कोड P2225011980101), राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5460

(ग) 277-शिक्षा-0107-शिक्षा- कुट सं०-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा-(विपत्र कोड- P2225012770107), राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5461

(ii) - संलग्न विवरणी-2 में अनु० जन जाति के लिए भारत व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के राज्य योजना मांग सं०-44 आय-व्यय शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारत होंगे :-

(क) 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा- कुट सं०-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा-(विपत्र कोड- P2225021970101) राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5460

(ख) 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0101- छात्रवृत्ति/वजीफा - कुट सं०-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा-(विपत्र कोड P2225021980101) राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5460

(ग) 277-शिक्षा-0101-शिक्षा-कुट सं०-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा- (विपत्र कोड- P2225022770101), राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5461

4- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

5- इस योजना के तहत राशि का व्यय पूर्व से निर्गत विभागीय परिपत्रों एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निदेश के आलोक में विद्यालय छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या-4061 दिनांक 16.05.2016 के आलोक में बैंक खाता के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

प्री-मैट्रिक में जितने छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति 75 % एवं उससे ज्यादा हो, उसमें पूर्व निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी विद्यालय छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के मांग के आलोक में संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिशा-निदेश में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व में निर्धारित नियमानुसार छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर छात्रवार संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति से प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र को नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7- स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अर्न्तगत है।

8- जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अवशेष राशि कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

9- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-5/निदे0-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- के पृ0-45/टि0 पर प्राप्त है।

10- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रीम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- 87 पटना, दिनांक 13.02.17

प्रतिलिपि (1) विवरणी की प्रति के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विवरणी की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(3) सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, / सभी उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(5) अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0-5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015- 89 पटना, दिनांक- 13.02.17  
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015- 89 पटना, दिनांक- 13.02.17  
प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव।

1210

विवरणी- 1


वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत अनु0जाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर, प्रावैधिक, कीड़ा, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय मुसहर छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि की विवरणी ।

क्रमांक	राज्य योजना बजट	विषय शीर्ष का विवरण	राज्य योजना स्कीम कोड	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3401	छात्रवृत्ति/ वजीफा	SST-5461	प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	277- शिक्षा	P2225012770107	100.00
2	3106	सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	SST-5460	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	197-ब्लॉक पंचायत/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	P2225011970101	15000.00
3	3106	सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	SST-5460	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	P2225011980101	26000.00
4	3401	छात्रवृत्ति/ वजीफा	SST-5461	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	277- शिक्षा	P2225012770107	10600.00
5	3106	सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	SST-5460	मुसहर/भुईयां	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	P2225011980101	2000.00
6	3401	छात्रवृत्ति/ वजीफा	SST-5461		277- शिक्षा	P2225012770107	80.00
7	3401	छात्रवृत्ति/ वजीफा	SST-5461	कीड़ा छात्रवृत्ति	277- शिक्षा	P2225012770107	20.00
8	3401	छात्रवृत्ति/ वजीफा	SST-5461	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	277- शिक्षा	P2225012770107	8000.00
<b>कुल योग</b>							<b>61800.00</b>

allotment-plan-stipend-16-17

(छः सौ अठारह करोड़ रु0 मात्र)

पत्राक- 89 दिनाक-13.02.17 का अनुलग्नक ।

  
सचिव 13.2.17

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

विवरणी- 2

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर, प्रावैधिक,कीड़ा, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि की विवरणी ।

210

क्रमांक	राज्य योजना बजट	विषय शीर्ष का विवरण	राज्य योजना स्कीम कोड	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3401	छात्रवृत्ति/वजीफा	SST-5461	प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	277- शिक्षा	P2225022770101	2.00
2	3106	सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	SST-5460	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	197-ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	P2225021970101	1200.00
3	3106	सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	SST-5460	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	P2225021980101	3600.00
4	3401	छात्रवृत्ति/वजीफा	SST-5461	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	277- शिक्षा	P2225022770101	796.00
5	3401	छात्रवृत्ति/वजीफा	SST-5461	कीड़ा छात्रवृत्ति	277- शिक्षा	P2225022770101	2.00
6	3401	छात्रवृत्ति/वजीफा	SST-5461	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	277- शिक्षा	P2225022770101	800.00
<b>कुल योग</b>							<b>6400.00</b>

allotment-plan-stipend-16-17


(चौसठ करोड़ रु0 मात्र)

पत्रांक-

89

दिनांक-

13.02.17 का अनुलग्नक ।

  
सचिव 13.2.17.

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग